अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधि[illegible]ायालय, गुमला

आदेश – फल[illegible]

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

एतवा उरांव
बनाम
अमर उरांव एवं अन्य

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 21/2017–18

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Miscellaneous Appeal)

अपीलार्थी श्री एतवा उराँव पिता–स्व0 दुखिया उराँव ग्राम–घाघरा थाना–घाघरा जिला–गुमला के द्वारा विविध वाद संख्या–17/2006–07 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घाघरा के खाता नं0–92 प्लॉट नं0–397 रकबा–1.12 एकड़ अपीलार्थी की खतियानी जमीन है। प्रश्नगत भूमि का खतियान लिटु उराँव के नाम से दर्ज है। लिटु उराँव का कोई पुत्र नही था इसलिए लिटु उराँव अपीलार्थी के पिताजी दुखिया उराँव को दिनांक–28.06.1956 को रजिस्टर्ड पोष पुत्र बनाया गया है। लिटु उराँव की मृत्यु के बाद सभी चल और अचल सम्पत्ति पर अपीलार्थी के पिताजी दुखिया उराँव का कब्जा रहा। अपीलार्थी के द्वारा यह बताया गया की ग्राम–घाघरा के ,खाता नं0–92 प्लॉट नं0–397 रकबा–1.12 एकड एवं प्लॉट नं0–495 रकबा–0.74 एकड़ दिनांक–03.01.1946 को तेवारी उराँव ने लिटु उराँव से जमीन खरीद किया है, जबकि प्लॉट नं0–397 रकबा–1.12 एकड़ का दाखिल खारिज अंचल कार्यालय से तेवारी उराँव के नाम नही हुआ। उत्तरवादी के द्वारा 70 वर्षो के बाद अंचल अधिकारी के न्यायालय को छोड कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय से स्वीकृति कराकर जमाबंदी कायम करने का आदेश प्राप्त करते है जो विधिसम्मत नही है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उत्तवादी के दादा तेवारी उरांव ने दिनांक 03.01.1946 को निबंधित पट्टा के द्वारा जमीन हासिल किया है। यह कि बिना उपायुक्त के अनुमति के जमीन का बिकी नहीं हो सकता है, जबकि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 से लागू हुआ। अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जमाबंदी रद्द करने के संबंधित में जो फैसला आया है, उसकी छाया प्रति संलग्न किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है :–

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.28 17:11:28 +05:30
Location: 192.168.1.49

1.Jharkhand cases report 2005 पेज –497 की छाया प्रति

2.Jharkhand cases report 2005 पेज –596 की छाया प्रति